राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(4)( )रथा/सान्याअवि/21/ 7408 जयपुर, दिनांक 29/6/2021

आदेश

स्व. श्री हाथी सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमेर के पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह जिनकी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चैनपुरा, जिला–जैसलमेर की पाठशाला प्रवेशानुज्ञा नम्बर 90 दिनांक 12.12.2015 के आधार पर जन्म तिथि 16.09.1999 (सोलह सितम्बर उन्नीस सौ निनानवे) है, इनकी शैक्षणिक योग्यता पाचवीं पास है, को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स के पे लेवल–1 में पदभार सम्भालने की तिथि से अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति कर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जैसलमेर–द्वितीय जिला जैसलमेर में पदस्थापित किया जाता है:–

1. परिवीक्षा समयावधि के दौरान कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा यह प्रतीत होने पर कि इनमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, 1996 के नियमों के अनुसार दक्ष कार्मिक होने की क्षमता नहीं है, तो नियमानुसार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त किया जा सकेगा।
2. राजस्थान सेवा नियम के नियम 8 के अनुसार परिवीक्षाधीन अवधि दो वर्ष होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुक्रम मे इन्हें परिवीक्षाधीन अवधि में 12400/– रूपये (अक्षरे रूपये बारह हजार चार सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह स्थिर वेतन दिया जायेगा। इनके द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 1 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. आदेश जारी होने के 15 दिवस भीतर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश उक्त अवधि में अपने पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभाल लेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगें, अर्थात् परिवीक्षा काल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जावेगा।
5. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होगें।
6. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6(6) एफडी/नियम/2005 दिनांक 13.03.06 के तहत मेडिक्लेम बीमा का लाभ दिया जावेगा।
7. इनके स्थिर वेतन में से राजकीय बीमा एवं प्रावधायी निधि की कटौती नहीं की जावेगी।

8. वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवालाभ देय होंगे।
9. इनकी नियुक्ति पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (1) कार्मिक/क--2/95 दिनांक 20.06.2001 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
10. विवाहित होने के स्थिति में कार्य ग्रहण के समय विवाह पंजीयन/बच्चों के जन्म प्रमाण–पत्र का शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।
11. पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग को होगा। कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबधित को 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र एवं पूर्व--वृत सत्यापन प्रस्तुत नही किये है, नियुक्ति के पन्द्रह दिवस में अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक, से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें।
13. अपने मूल दस्तावेज लेकर अपनी उपस्थिति कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमेर में प्रस्तुत करेगें। जिलाधिकारी इनका दस्तावेज का सत्यापन करने के उपरान्त इन्हे पदस्थापित स्थान पर ज्वाईनिंग हेतु निर्देशित करेगें तथा इनकी उपस्थिति रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र भिजवायेगें।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ.1(4)( )स्था/सान्याअवि/21/ 7409-19 जयपुर दिनांक 29/6/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (संतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जैसलमेर।
6. निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि।
7. संयुक्त निदेशक, आईटी, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमेर।
9. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हाथी सिंह, च.श्रे.क., गांव–जियाई, पोस्ट अमरसागर, तहसील– जैसलमेर, जिला–जैसलमेर।
10. व्यक्तिगत पत्रावली श्री सिंह।
11. आदेश पत्रावली।

(द्वारका प्रसाद गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)